भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

05.08.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2980 का उत्तर

मुर्शिदाबाद में माल गोदाम

2980. श्री अबू ताहेर खान:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुर्शिदाबाद में जूट, रेशम तथा कृषि उत्पादों के लिए माल गोदाम विकसित करने का कोई प्रस्ताव है तथा यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) किसानों तथा लघु व्यापारियों के लिए मालभाड़ा शुल्क में कमी करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) और (ख): वर्तमान में मुर्शिदाबाद जिले में 4 माल शेड अर्थात् मुर्शिदाबाद, काशिमबाजार, सारगाछि और धुलियान गंगा परिचालन में हैं और जूट, रेशम और कृषि उत्पादों सहित विभिन्न पण्यों की सम्हलाई के लिए खुले हुए हैं।

इसके अलावा, अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार लाने के लिए, इन माल शेडों के लिए निम्नलिखित कार्यों को स्वीकृति दी गई हैं-

- **(i) मुर्शिदाबाद माल शेड - मुर्शिदाबाद के नए माल घाट के लालगोला छोर से समपार फाटक सं 14 तक संपर्क मार्ग का विकास।**
- **(ii) सारगाछि माल शेड - मरम्मत, प्रकाश-व्यवस्था में सुधार, श्रमिकों के लिए शौचालय की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे का प्रावधान और सभी मौसम में पूरी तरह से कवर किए गए माल शेडों की व्यवस्था।**

(iii) काशिमबाजार माल शेड- सीसीटीवी और सभी मौसम में पूरी तरह से कवर किए गए माल शेडों की व्यवस्था।

"खाद्यान्न, आटा एवं दालें" और "उर्वरक" के पारवहन के लिए माल भाड़ा दर को युक्तिसंगत बनाया गया है और 01.08.2026 से प्रति टन-कि.मी. के आधार पर इसे रेल माल डिब्बों तथा कंटेनरों में पारवहन के लिए माल भाड़ा संरचना को सरल एवं प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु शुरू किया गया है।

वर्तमान में सभी पण्यों पर टर्मिनल प्रभार नहीं वसूल कर मुर्शिदाबाद माल शेड को भी विशेष लाभ प्रदान किया जा रहा है।

निजी निवेश के माध्यम से कार्गो टर्मिनलों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, 'गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल (जीसीटी)' नीति शुरू की गई है। अभी तक, 142 गति शक्ति कार्गो टर्मिनलों (जीसीटी) को कमीशन किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, 310 अतिरिक्त स्थानों पर गति शक्ति टर्मिनलों के विकास के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन (आईपीए) प्रदान किया गया है। कमीशन किए गए 142 गति शक्ति टर्मिनलों की अनुमानित माल सम्हलाई क्षमता प्रति वर्ष 224 मिलियन टन (एमटीपीए) है। इस नीति के अंतर्गत इन गति शक्ति टर्मिनलों के माध्यम से लगभग 10,000 करोड़ रु. का निजी निवेश जुटाया गया है। वर्ष 2025-26 के दौरान इन गति शक्ति टर्मिनलों पर 146 मिलियन टन (एमटी) माल यातायात की सम्हलाई की गई।

पश्चिम बंगाल में, सारगाछि पर 01 (मुर्शिदाबाद जिले में) सहित 7 गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनलों की कमीशनिंग की गई है और इसके अतिरिक्त 23 को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं।
